



2026:AHC:18583

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 42993/2025

राजेश यादव उर्फ पिंटू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सौरभ यादव, सूरज राज

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., लाल बिहारी यादव

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान एजीए श्री रामेंद्र पाल सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 406/2025, धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली मऊ, जिला मऊ में पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठा फँसाया गया है। गैंग चार्ट में वर्णित आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया कि आवेदक को गैंग चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित गैंग की गतिविधियों में कोई दुष्प्रेरण या सहायता नहीं की है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 21.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि जमानत मिलने पर वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में भारी संख्या में लंबित मामलों के कारण विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने '**प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648**, के मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए गैंग चार्ट के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं कर सके।

समस्त तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि जमानत हेतु यह उपयुक्त मामला है। तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक राजेश यादव उर्फ पिंटू को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए –

(i) आवेदक किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे। (ii) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद के आरंभ, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) बयान दर्ज करने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

2. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे प्रकरण के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं लिया जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

28 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।